न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी : रामावतार कुमावत

प्रकरण सं० 06/2005

अनवान

1 अमीलाल पुत्र किशनाराम जाति बिश्नोई निवासी 6KD- तहसील घड़साना

2 जगदीश
3 निर्मलचन्द
4 सतपाल
] पिसरान अमीलाल जाति बिश्नोई 6KD तहसील घड़साना

वादीगण

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) घड़साना

2 मनीबाई बेवा सीताराम जाति ब्राह्मण सा० 5KD तहसील घड़साना जरिये मु०आम साहबराम (मय [illegible])

2/1 महेश पाण्डे पुत्र मनीबाई

3- बनवारीलाल पुत्र चोखाराम

प्रतिवादी

वाद पत्र घोषणात्मक बाबत वादी चक 5KD-A का मु०नं० 170/64 का 25 बीघा, मु०नं० 171/57 का 25 बीघा व मु०नं० 191/01 का 8 बीघा कुल 58 बीघा का खातेदार घोषित किये जाने/बिना विनय साक्ष्य हर प्रकार के अधिकार/ अन्तर्गत धारा 92 ख, 88, 188 रा.टी. एक्ट

लगातार - 2

Scanned by CamScanner

ने आदेश वकील प्रस्तुत किया की प्रतिवादीया ने जिस आवंटन आदेश से भूमि खातेदार घोषित हुई है उसके विरुद्ध वादीगण ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय मे अपील पेश करके चुनौती दी जा चुकी है ~~[illegible]~~ तथा वादीगण ने उक्त आदेश प्रार्थना पत्र बाबत् केस वाद पत्र मे वर्णित भूमि की वादीगण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर मे डी.बी. सिविल रिट दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त करने पर उक्त प्रकरण की कार्यवाही स्थगित करने का निवेदन किया। जिसके प्रति उत्तर मे प्रतिवादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र अंकित किया मन वाद चलने योग्य ही नही है तो वाद की कार्यवाही को रोका जाना न्यायोचित नही है।

प्रस्तुत ~~प्रार्थनापत्र~~ प्रकरण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7, नियम 11 सी.पी.सी. एवं न्यायालय की कार्यवाही को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे विचाराधीन डी.बी. सिविल रिट याचिका मे जारी स्थगन आदेश की पालना मे कार्यवाही स्थगित रखने के सम्बन्ध मे वकील उभय पक्षकारों के द्वारा दिये गये तर्कों को मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध मे इस न्यायालय मे घोषणात्मक दावा विचाराधीन है साथ ही इसी भूमि मे से कुछ भूमि के आवंटन एवं कब्जा के सम्बन्ध मे पारित आदेश को विभिन्न न्यायालय मे उभय पक्षकारों

लगातार—4

Ramo

के द्वारा चुनौती दी जा चुकी है तथा विभिन्न न्यायालयों से पूर्व में भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश भी पूर्व में जारी हो चुके है तथा वर्तमान में इसी विवादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. सिविल रिटयाचिका भी विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अत: प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से होने वाले किसी आदेश तक इस प्रकरण में कोई आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि माननीय राज० उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन डी.बी सिविल अपील रिट याचिका क्र० 655/2016 में दिनांक 03-04-2017 को आदेश है विवादित भूमि भूमि की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया गया है ऐसी स्थिति में हम प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7, नियम 11 - सी.पी.सी पर कोई निर्णय अब नहीं करके वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद पत्र की कार्यवाही स्थगित किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते है। वादीगण का प्रार्थना पत्र वाद पत्र की कार्यवाही को स्थगित करने के स्वीकार करके वाद-पत्र की कार्यवाही को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से डी.बी. सिविल अपील रिट याचिका के निर्णय तक स्थगित की जाती है। तब तक पत्रावली निर्णय दुरुस्त होकर नम्बर व कम हो। माननीय राजस्था० उच्च न्यायालय जोधपुर से होने वाले निर्णय के बाद पुन: वाद नम्बर लिया जावे।

आदेश आज दिनांक 27-12-19 को खुले न्याया-लय में लिख वाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
27/12/19

Scanned by CamScanner